

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

बनाम

रामावतार कुमावत आदि

किस्म मुकदमा:- प्रा.पत्र प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002

मुकदमा नम्बर 75 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.3.25	<p>पत्रादि एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड की ओर से वकील श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। ऋणी/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 7.4.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (मुकुल शर्मा) जिला मजिस्ट्रेट सीकर </p>	<p>नोटिस:-</p> <p>171-73</p> <p>24/3/25</p>
7.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा ने रजि. आवेदन पेश कर प्रा.पत्र प्रतिभूतिकरण विद्वां करने की अनुमति चाही है। अनुमति ही जाकर प्रा.पत्र प्रतिभूतिकरण विद्वां में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल्ल शर्मा एडवर नम्बर से उपहते।</p> <p style="text-align: center;">  (मुकुल शर्मा) जिला मजिस्ट्रेट, सीकर </p>	